

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 19.09.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-22 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने 03, थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. लालबहादुर सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह नि० ग्राम मोहनपुर भगाही थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-320/21, सोहन लाल पुत्र पुदई नि० ग्राम पण्डित पुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-321/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सीतापती पत्नी स्व० रामकुमार नि० विजयगढवा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-323/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नानबाबू कश्यप पुत्र मुन्नालाल कश्यप नि० वार्ड नम्बर 07 पटान टोला कस्बा कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-321/21, 02. भग्गू प्रसाद पुत्र नन्हकऊ नि० ग्राम अहिरनपुरवा अशोकपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-322/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 04. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संजू देवी पत्नी रमेश कुमार नि० धनौली थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-738/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 05. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मनोज कुमार पुत्र काली प्रसाद नि० दानेपुर हथिनीखास थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-259/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 19.09.2021**

**नाजायज चाकुओं के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान 02 अभियुक्तों—01. बृजलाल, 02. नासिर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01—01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना छपिया में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण—**

01. बृजलाल पुत्र भवानी प्रसाद नि0 ग्राम नरैचा थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. नासिर पुत्र अजीज नि0 मल्हीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—258/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—260/21, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 02 अदद नाजायज चाकू।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ0नि0 प्रेमानन्द।
02. हे0का0 उमेश प्रसाद।